International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2022; 2(1): 72-74
Received: 26-11-2021
Accepted: 23-01-2022

Anjani Amita Tiru
Research Scholar, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand, India

Dr. Pooja Dewan
Assistant Professor, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand, India

Corresponding Author:
Anjani Amita Tiru
Research Scholar, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand, India

शहरी एवं ग्रामीण किशोरियों के सशक्तिकरण स्तर की तुलनात्मक अध्ययन

Anjani Amita Tiru and Dr. Pooja Dewan

Introduction

शिक्षा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा ही बालक को मानवीय गुणों से ओत प्रोत करती है। शिक्षा बालकों के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न आयामों का विकास करती है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विकास करती है। यह प्रक्रिया जीवनपर्यान्त चलती रहती है। शिक्षा, मनुष्य को अनुभव से प्राप्त होती है। जीवन के प्रत्येक अनुभवों से शिक्षा में वृद्धि होती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का पथ-प्रदर्शक होती है। शिक्षित व्यक्ति अपने आपको आवश्यकता अनुसार विभिन्न वातावरण में ढाल लेता हैं। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यवहार से अशिक्षित व्यक्ति से बिलकुल विभिन्न लगता है।

शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपना अलग पहचान बनाता है और कुछ करने लायक बनता है।अपने विचार एवं व्यवहार से समाज में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है।

"शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।" डॉ. भीम राव अंबेडकर शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित उन क्षमताओं का विकास करता है जिनके माध्यम से वह अपने आस पास के वातावरण पर नियंत्रण करता है।

व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपना चतुर्दिक विकास तो करता ही है, साथ ही साथ अपने समाज तथा राष्ट्र का विकास भी करता है। एक शिक्षित व्यक्ति अनेक तरीक़े से अपने समाज तथा राष्ट्र की मदद करता है। क्योंकि शिक्षा उसे कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराता है। शिक्षा उनके विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है और वह समाज के लिए अच्छा सोच सकता है।

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राजनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास संभव होता है। इस तरह बालक पूर्णता को प्राप्त कर देश का कुशल एवं योग्य नागरिक बनता है। देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है क्योंकि कोई भी देश वहाँ के योग्य एवं कुशल नागरिक पर निर्भर करताहै। शिक्षा से व्यक्ति के साथ साथ देश तथा समाज का भी विकास होता है। शिक्षा बालकों में देश-प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित करती है।[1]

शिक्षा मानव जीवन का एक सुसंस्कृत एवं महत्वपूर्ण पक्ष है।इसके द्वारा मानव अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है।[2]

किंतु समाज की उन्नति हेतु, विशेषकर बालिकाओं की उन्नति भी करना अत्यंत आवश्यक है। अतः बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर तथा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार बालिकाओं का सशक्तिकरण करके समग्र विकास किया जा सकता है।

किशोरियों का सशक्तिकरण एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जो किशोरियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान युही हद है दिलाता है और अपनी शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाता है। सशक्तिकरण महिलाओं की ज़िम्मेदारियों को सँभालने, बेहतर भविष्य की कल्पना करने और क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।उन बाधाओं को दूर करने के लिए काम करता है जिनका वो सामना करती हैं।[3]

महिला सशक्तिकरण महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार से जीवन के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।विशेष रूप से कामुकता और प्रजनन के क्षेत्र में। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो स्वास्थ्य और उन के शिशुओं के जीवित रहने में सुधार होगा और प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण का प्रजनन क्षमता, प्रजनन, स्वास्थ्य, पर मज़बूत प्रभाव पड़ता है।

महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।महिला सशक्तिकरण को बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं, जिससे अपने जीवन से जुड़े हर फ़ैसले लेती हैं। समाज और परिवार में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। एक सशक्त महिला समाज में अपना वास्तविक अधिकार को प्राप्त कर सकती है। सशक्त महिला में इतनी ताक़त होती है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है। वह किसी भी समस्या से पुरुषों की तुलना में बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। [4] अतः विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है।समय के साथ साथ महिलाओं ने अपने महत्व और शक्ति को साबित भी किया है। उसने दुनिया को बताया है कि वह सिर्फ़ संतान पैदा करने के लिए नहीं है। वह एक कवि, लेखक, योद्धा, खिलाड़ी, राजनेता और अंतरिक्ष यात्री भी बन सकती है और उसने यह सिद्ध भी किया है।

सशक्त महिलाओं से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है।आज महिलाओं का सशक्तीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। भारतीय संविधान भी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है।राज्य किसी के साथ लैंगिक भेदभाव नहीं करता है। सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए नीति पारित किया गया है।हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएँ हैं। सरकारी एवं गैर-सरकारी, अनेक योजनाएँ चल रही हैं।महिला सशक्तिकरण से संबंधित अनेक वाद-विवाद होते रहते हैं। फिर भी हम समाज में देखते हैं तो कमियां नज़र आती हैं।व्यावसायिक जीवन में कमियां नज़र आती हैं। कुछ योजनाओं समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं ला सकती है, जब तक कि लोगों की सोच में बदलाव न आए, सामाजिक, पारिवारिक सोच में बदलाव ना आए। वैचारिक बदलाव से ही महिलाओं की समस्याएँ कम हो सकती है। अगर उन्हें निर्णय लेने का अधिकार ही न मिले, परिवार के लोग ही उनके अधिकार को छीन लें, ऐसे में सरकारी या ग़ैर सरकारी नीतियां क्या कर सकती है। महिलाएँ सशक्त तभी हो सकती है जब उनके अपनों की सोच में परिवर्तन आता है।

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मात्र सहारा शिक्षा है। भारत और पूरी दुनिया के देशों में कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ हैं। अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो महिलाओं को इसमें भागीदार बनाना होगा।कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को तभी बेहतर समझ सकता है जब वह शिक्षित हो। जब महिलाओं की पूरी आबादी शिक्षित होगी, तभी हमारे देश या किसी अन्य देश को वास्तविक अर्थों में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी यह कहा गया है कि यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ने एक पूरे परिवार और एक समाज को शिक्षित किया है। इसलिए लड़की की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

शिक्षा सभी का अधिकार है और यह महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन है। शिक्षित महिला समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों का साथ निभाती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

राष्ट्र तथा समाज को मज़बूत करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा और लैंगिक समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें पूरी सुरक्षा भी देनी होगी।यह आवश्यक है कि लड़कियाँ शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त कौशल एवं दक्षताएँ भी सीखें। शिक्षा लड़कियों में स्वतंत्र सोच का विकास करती है। अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। सही और ग़लत के बीच अंतर कर सकती हैं। इस तरह वे सामाजिक विकास में योगदान कर सकती हैं।

लड़कियाँ हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लड़कियों के बिना कोई भी समाज, राष्ट्र और संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ साल पहले तक लोगों की सोच थी कि लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता है नहीं है। उनकी सोच थी कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी चाहिए और संतान उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच तथा मानसिकता बदलती जा रही है। आज लड़कियाँ अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, साथ ही देश का नाम भी ऊँचा कर रही हैं।हर क्षेत्र में लड़कियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। यह लड़कियों की शिक्षा से ही संभव हो रहा है, क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र हथियार है जो लड़कियों को सशक्त बना सकती है और समाज मज़बूत बनता है। लोगों की सोच और मानसिकता में बदलाव के कारण ही लड़कियाँ सशक्त बन रही हैं। अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। शिक्षा के साथ इसमें लैंगिक समानता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

"हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का हक़दार है, लेकिन उनके जीवन में और उनकी देखभाल करने वालों के जीवन में लैंगिक असमानताएँ इस वास्तविकता में बाधा है।"[5]

हर लड़की के समग्र विकास में गतिशील प्रगति होनी चाहिए। प्रत्येक लड़की का अधिकार है कि उसे क्षमता के विकास का पूरा मौक़ा मिले। लेकिन लैंगिक असमानता की कुरीति की वजह से वे ठीक से फल फूल नहीं पाती हैं। भारत में लड़कियों और लड़कों के बीच न केवल उनके घरों और समुदायों में, बल्कि हर जगह लिंग असमानता दिखाई देती है। सभी जगह उनके लिए लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत में लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी असमानता उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव दोनो लिंगों पर पड़ता है लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखें तो इस भेदभाव से सबसे अधिक लड़कियाँ प्रभावित होती हैं और अच्छे अवसरों से वंचित रह जाती हैं।

भारत में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ लड़कों को, लड़कियों की तुलना में, अधिक स्वतंत्रता मिलती है। जबकि लड़कियों की स्वतंत्रता में अनेकों पाबंदियां होती हैं। इस पाबंदी का असर उनकी शिक्षा, विवाह और सामाजिक रिश्तों, ख़ुद के लिए निर्णय के अधिकार, आदि को प्रभावित करती है। लड़कियों को शिक्षा, कौशल-विकास, खेल-कूद में भाग लेने एवं सशक्त करके ही हम इन्हें समाज में महत्व दे सकते हैं।

लड़कियों को सशक्त कर के ही हम सभी को शिक्षा दे सकते हैं, खून की कमी (एनीमिया) बाल-विवाह और लिंग आधारित पक्षपात आदि को समाप्त कर सकते हैं। हमें लड़कियों को एक प्लैटफ़ॉर्म देना होगा जिससे कि समाज में उनका बेहतर भविष्य बन सके। [6]

शहरी और ग्रामीण किशोरियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया है कि शहरी किशोरियां ग्रामीण किशोरियों की तुलना में ज़्यादा सशक्त है।

किशोरियों के सशक्तिकरण स्तर को मापने के लिए सात घटकों पर अध्ययन किया गया है। ये घटक हैं:-

1. अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व
2. स्वायत्तता एवं आत्म विश्वास/आत्म निर्भरता

3. निर्णय प्रक्रिया
4. भागीदारी
5. क्षमता विकास
6. सामाजिक, राजनीतिक एवं क़ानूनी जागरूकता
7. सूचना माध्यमों की उपयोगिता

- इन सातों घटकों में ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों की किशोरियां सरकारी विद्यालय की किशोरियों की तुलना में ज़्यादा सशक्त पायी गयी हैं।।
- शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के सशक्तिकरण दर में सार्थक अंतर पाया गया है
- शहरी निजी विद्यालयों की किशोरियाँ भी सातों घटकों में सरकारी विद्यालय की किशोरियों से ज़्यादा सशक्त हैं।
- शहरी और ग्रामीण किशोरियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया है कि शहरी किशोरियां ग्रामीण किशोरियों की तुलना में ज़्यादा सशक्त हैं। किंतु घटक अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व, स्वायत्तता एवं आत्म विश्वास और निर्णय प्रक्रिया में नगण्य अंतर पाया गया है। उपरोक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र और निजी एवं सरकारी विद्यालयों के किशोरियों के सशक्तिकरण स्तर के अंतर को कम किया जा सकता है।
- इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के किशोरियों को जागरूक करने के लिए ज़ोर दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा।इसके लिए सरकार भी कृत संकल्प है।
- सशक्तीकरण स्तर के विभिन्न घटकों का प्रतिशत बेहतर करने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों को तैयार किया जाएगा।
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर तथा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
- लड़कियों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- अनौपचारिक शिक्षा के ज़रिए लिखने पढ़ने तथा ज़रूरी योजनाएं प्रदान करना, अधिक सामाजिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना तथा उनकी निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं में सुधार लाने में मदद करना।
- घरेलू तथा व्यावसायिक कुशलताओं में सुधार लाना लाने, उन्हें मज़बूत बनाने के लिए किशोरियों को प्रशिक्षित तथा सुसज्जित करना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण तथा परिवार कल्याण, घरेलू व्यवस्था और बाल देखभाल संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना और ऐसे सभी उपाय करना जिनसे किशोरियों का विवाह 18 वर्ष की आयु हो जाने पर हो सके अथवा इससे भी बाद में हो।
- उनके माहौल से सम्बंधित सामाजिक मुद्दों और उनके जीवन पर इनके प्रभाव के बारे में बेहतर समझ बूझ प्राप्त करना।
- किशोरियों को विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे समाज की उत्पादक और उपयोगी सदस्य बन सके।
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर तथा विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा देखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं द्वारा समग्र विकास किया जा सकता है।बालिकाओं के समग्र स्तर को उन्नत किया जा सकता है।

संदर्भ

1. एन• आर• स्वरूप सक्सेना, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत
2. एस• के• अग्रवाल- शिक्षा के तात्त्विक सिद्धान्त
3. Wikipedia https://hi.m.wikipedia.org
4. Wikipedia https://hi.m.wikipedia.org
5. Unicef India https://www.unicef.org/India/hi/what-we-do/gender-equality
6. Unicef India https://www.unicef.org/India/hi/what-we-do/gender-equality